मानव तस्करी : शक्यता है या वास्तविकता?

इसकी निंदा का समर्थन करें

इन तस्करों को अक्सर पीड़ितों द्वारा उनके परदेस में स्थापित होने की परियोजना के लिए मदद करनेवाले सहयोगी के रूप में देखा जाता है, ना की अपराधियों के रूप में.

सच्चाई क्या है

इससे पीड़ित लोग उसे तस्कर करने वाले में देख सकता है के, जो कोई व्यक्ति उनके भविष्य के लक्ष्य को हासिल करने में बढ़ावा देता है और फिर उसका जो परिणाम आता है वह पीड़ित को उसके सही कारन क्या थे उसकी समज देता है. दूसरी और, पीड़ित व्यक्ति शोषण की इन स्थितियों को एकमात्र विकल्प के रूप में देख सकता है और इसलिए बिना किसी सवाल किये शोषण करने वाले के दृष्टिकोण को स्वीकार करता है. इस्पे भी ज़ोर दिया जाता है के पीड़ितों को कानूनों और अधिकारों की प्रणालियों पर संदेह हो क्योंकि वे मानते हैं कि वे कानून अपने स्वयं पर लागू नहीं होते हैं, और यह स्वीकार करते हुए कि शोषण करने वाले व्यक्ति ही उन लोगों में से हैं जो उन्हें मदद करना चाहते हैं.

२. क्या पुर्तगाल में मानव तस्करी का शिकार हुए लोग है?

सच्चाई यह है

२००८ से २०१८ के बिच १९४८ ऐसे लोगो का संकेत दे कर रजिस्टर किये गए थे जिन में से ६९३ मानव तस्करी के शिकार हुए लोगों की पुष्टि की गयी थी और ३७९ गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)/अन्य संघठन द्वारा संकित किये गए थे (यह मामले अभी जांच के तहत है) इसका स्तोत्र MAI/OTSH (आंतरिक प्रवेश का मंत्रालय/मानव प्रशिक्षण संगठन) है (इस जानकारी का आखरी बार अपडेट जुलाई २०१९ को किया गया था) पुर्तगाल भी इसमें एक मूल देश है, मानव तस्करी करके लोगो को यहाँ लाने का स्थान है. यह घटना अपने साथ समस्यात्मक कारणों और परिणामों का एक समूह लेकर आती है : यह एक संगठित अपराध है जिसमे यौन और श्रम शोषण किया जाता है (और भी अन्य तरीकों से भी), सबसे विकसित और सबसे वंचित देशों, लिंग और मानवाधिकार के मुद्दों, परिवार के टूटने और सामुदायिक समर्थन के बीच विषमता इसका कारन है

३. एक पोर्तुगेसी नागरिक मानव तस्करी का शिकार हो सकता है?

सच्चाई यह है

२००८ से २०१८ के बिच १७३ पोर्तुगेसी नागरिक इस गुनाह का शिकार होने की पुष्टि की गयी है. इसका जानकारी का स्तोत्र MAI/OTSH (आंतरिक प्रवेश का मंत्रालय/मानव प्रशिक्षण संगठन) है. अंतिम जानकारी का अपडेट जुलाई २०१९ में किया गया था, मानव तस्करी का शिकार बनाने के लिए यह जरुरी नहीं है के आप विदेशी हो, बस आपका शोषण की स्थिति में होना ही काफी है. अंतरराष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार, यूरोपीय कानून और पुर्तगाली कानून के अंतर्गत, जो व्यक्तियों की तस्करी का अपराध करते है, जैसे की : किसी जरूरतमंद व्यक्ति को प्रस्ताव करना, कही पहुंचाना, किसी के सुपूर्त करना, उनको काम देना , उनको लुभाना, उनका स्वीकार करना, उनका परिवहन करना, उनको रहने की जगह देना और उनको अपने पास रखना ; इन माध्यमों का उपयोग करके: हिंसा, अपहरण, धमकियों द्वारा गंभीर खतरा, धोखाधड़ी, धोखे या पैंतरेबाज़ी, अधिकार का दुरुपयोग, मानसिक विकलांगता या विशेष भेद्यता का उपयोग; जिसका उद्देश्य यह हो : उनका शोषण करना, अर्थात् यौन शोषण, श्रम शोषण, भीख मंगवाना, गुलामी

करवाना, अंग कटाई, या अन्य आपराधिक गतिविधियों से पीड़ितों का शोषण करना. एक मानव तस्करी के गुनाह के लिए सिर्फ किसी व्यक्ति को आंतरराष्ट्रीय देशों की सिमा पार करवाना ही जरुरी नहीं है, उसी सिर्फ एक ही देश में उनका परिवहन करवाना भी पर्याप्त है, आपराधिक दंड संहिता का कानून क्रमांक १६० के अंतर्गत.

४. तस्कर रोजगार दिलानेवाली और पर्यटन एजेंसियों के माध्यम से कार्य कर सकते हैं, यह वादा करके के वह उनको विदेश में रोज़गार दिलवाएंगे और सफर के लिए जरुरी दस्तावेज़ भी बनवा देंगे.

सच्चाई यह है

मानव तस्करी का गुनाह बहोत ही सुव्यवस्थित तरीके से किया जाता है, अधिकांश समय यह एक व्यवस्थित नेटवर्क होता है और यह सेवायें इस तरह से लोगों को उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे वह आसानी से प्रवेश कर सके, जैसे के रोज़गार दिलवानेवाली और पर्यटन एजेन्सीयों द्वारा जिसपे किसी भी प्रकार से संदेह नहीं उठता है.

५. मानव तस्करी के मामले में, सारे पीड़ित व्यक्तियों को उनका जहा शोषण होता है वह जगह से बहार जाने या वह स्थान छोड़ने से रोका जाता है.

शक्यता

अधिकतम समय पीड़ितों को उनका शोषण हो रहा है वह स्थान से बहार जाने की सम्भावना होती है, हालाँकि उनको शारीरिक या मानसिक तरीके से परेशान करने की धमकिया दी जा सकती है जो उन्हें वहां से भागने या किसी से मदद मांगने की अनुमति नहीं देता. अक्सर पीड़ित लोग इसी वजह से नहीं निकलते.

६. तस्करी का शिकार होने वाले सभी विदेशी लोग गैर-दस्तावेजी होते है.

शक्यता

तस्करी के शिकार सभी लोग गैर-दस्तावेजी नहीं होते, हालाँकि वह शोषण के अधीन हो सकते है और उनपे कई तरह से नियंत्रण किया जा सकता है जो समय के हिसाब से बदलती है. इनमे से कुछ है, जो ध्यान खींचती है वह यह है :

* दस्तावेज़ जप्त कर लेना, पीड़ितों से उनके पैसे और दस्तावेज़ों से वंचित किया जा सकता है यह बता के के यह हमारे पास सुरक्षित रहेंगे और विज़ा लेने के काम के लिए इनकी आवश्यकता पड़ेगी, इस तरह से यह लोगों की स्वतंत्रता पे नियंत्रण किया जाता है;

* उनपे हिंसा की जाती है और किसी आंदोलन में हिस्सा लेने पे प्रतिबन्ध लगाया जाता है. पीड़ितों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें उनका उत्पीड़न और ड्रग प्रशासन में भी शामिल किया जाता है

* पीड़ितों को खुद को और साथ-साथ उनके रिश्तेदारों को भी धमकियां दी जाती है. कई बार तस्कर ऐसी धमकियाँ देते है उदाहरण के तौर पे, पीड़ित के परिवारजनों को या जो समुदाय से वह आये है उनको यह बता देंगे के पीड़ित यहाँ कैसे अपमानजनक काम करते है या अधिकारीयों को बता देंगे के पीड़ित के पास दस्तावेज़ नहीं है यह धमकिया देते है.

७. मानव तस्करी के जो शिकार होते है वह आर्थिकरूप से गरीब हो यह जरुरी है.

शक्यता

मानव तस्करी से पीड़ित लोगों का विशिष्ट प्रकाश से वर्णन करना संभव नहीं है. पीड़ित कोई भी हो सकता है, बच्चे या वयस्क, स्त्री या पुरुष, शिक्षित या अशिक्षित, शारीरिक रूप से शक्षम या विकलांग. पीड़ित विभिन्न स्थानों या देशों से या विभिन्न जातीय समुदाय से हो सकते है. प्रत्येक लिंग के लिए कोई विशिष्ट प्रकार का शोषण नहीं होता है, और कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के शोषण का लक्ष्य हो सकता है. हालाँकि ज्यादा तर शिकार हुए पीड़ित लोग, एक बहेतर जीवन पाने की उम्मीद रखते है, अपने परिवार के लोगों के लीये पैसे कमाना चाहते है, पर उनकी यह उम्मीद धराशायी हो जाती है, जब उन्हें ठग लिया जाता है. आपराधिक पुलिस अधिकारीयों के लिए इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने के लिए किट उपलब्ध है.

८. इनकी भर्ती/शिकार बनाना हमेशा शारीरिक बल का उपयोग करके या अपहरण करके की जाती है.

शक्यता

तस्करी का शिकार बननेवाले लोगों भर्ती करना या उनको इकठ्ठा करने के तरीके बदलते रहते है, और, यह ज्यादा तर उनकी उम्र या उनकी लिंग (स्त्री/पुरुष) पे निर्भर है और साथ ही उनसे किस तरह के शोषण का काम करवाना है. इस तरह यह संभव है के जूठा रोज़गार दिलवाने का विज्ञापन के माध्यम का उपयोग करके उनको शामिल किया जाता हो, उनसे अच्छा व्यव्हार किया जानेका वादा करके, उनको पढाई या ट्रेनिंग का अवसर दिया जानेका वादा करके, दूसरे देश में उनको आसानी से स्थापित करने में मदद करने का वादा करके या फिर पीड़ित का अपहरण करके. जो वादे उनसे किये जाते है यह सारे धोखा है, या फिर कहे सकते है के, जो अच्छे भविष्य का वादा उनसे किया गया था वह कभी सच नहीं होगा, व्यक्ति को आकर्षित किया जाता है, और बाद में, उन्हें शोषण की स्थिति के आधीन कर दिया जाता है.